

## निवेदन

सी.एच.क्यू चन्दा की अदायगी :- रिजर्व बैंक के आदेशानुसार पहली अप्रैल 2012 से चैक 3 माह के बाद अवैध हो जाएगा जिसकी पहली अवधि 6 माह थी। हमे चन्दे के 300 से अधिक चैक हर माह प्राप्त होते हैं। कई लेखाधिकारी हमारे चन्दे का चैक हर माह जारी तो करते हैं परन्तु कई महीनों बाद इक्टे करके भेजते हैं जिससे अवैध होने की सम्भावना रहती है।

सभी परिमण्डल/मण्डल सचिवों से निवेदन है कि अपने-अपने लेखाधिकारी से लिखित अनुग्रह करें कि सी.एच.क्यू का चैक हर माह जारी कर साथ-साथ भेजते रहे ताकि अवैध न हो जाय ।

पी.एल.दुआ  
कोषाध्यक्ष